



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 2 नवम्बर, 2020

कार्तिक 11, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 1282/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश(157)-2020

लखनऊ, 2 नवम्बर, 2020

अधिसूचना

प०आ०-437

उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 9 की उपधारा (3) और (4), धारा 11 की उपधारा (1), धारा 15 की उपधारा (5) तथा धारा 148 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, इस बात का समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा अधिसूचना संख्या क०नि०-2-843/ग्यारह-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश(10)-2017, दिनांक 30 जून, 2017 में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 19ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्:-

"19ग	9965	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, अंतरिक्ष कारपोरेशन लि० या न्यू स्पेस इण्डिया लि० द्वारा पूर्ति की गयी उपग्रह प्रक्षेपण सेवाएं।	शून्य	शून्य "
------	------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---------

2-यह अधिसूचना दिनांक 16 अक्टूबर, 2020 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,
आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 1282/XI-2-20-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order(157)-2020, dated November 2, 2020 :

No. 1282/XI-2-20-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order(157)-2020

Dated Lucknow, November 2, 2020

In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017), the Governor, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification no. KA.NI.-2-843/XI-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order-(10)-2017, dated June 30, 2017, namely:-

AMENDMENT

In the said notification, in the Table, *after* serial number 19B and the entries relating thereto the following serial number and entries shall be *inserted*, namely: -

"19C	9965	Satellite launch services supplied by Indian Space Research Organisation, Antrix Corporation Limited or New Space India Limited.	Nil	Nil."
------	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 16th day of October, 2020.

By order,
ALOK SINHA,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 524 राजपत्र-2020-(1094)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 59 सा० राज्य कर-2020-(1095)-1000 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।